संख्या-12/2015/ए-1-544 /दस-2015-10(6)/90

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2015**

विषय- सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-ए-1-55/ दस-90-10(6)90, दिनांक 05 दिसम्बर, 1990 द्वारा राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों एवं राज्य सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के आहरण एवं वितरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था, जिसमें पेंशनर द्वारा अपना चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा उसी कोषागार में, जहाँ से वे नियमित पेंशन आहरित कर रहे हैं, अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस हेतु पेंशनर को कोषागार में उपस्थित होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वृद्ध एवं अशक्त पेंशनरों को कोषागार में उपस्थित होकर देयक बनाकर प्रस्तुत करने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । पेंशनर्स वेलफेयर ऐसोसिएशन्स द्वारा इस सम्बन्ध में कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त पेंशनरों की समस्याओं के दृष्टिगत् चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की आहरण की प्रक्रिया शासन द्वारा निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है -

(1) सर्वप्रथम वर्तमान नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम अधिकारी स्वीकृति सम्बन्धी आदेश वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निर्गत करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृतकर्ता अधिकारी इस स्वीकृति आदेश को अपने यहाँ नियुक्त आहरण-वितरण अधिकारी को भेजेगे, जिसकी एक प्रति सम्बन्धित पेंशनर को पृष्ठांकित की जायेगी। जहाँ पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं अथवा वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन से निर्गत की जा रही है, वहाँ स्वीकृत आदेश सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भेजे जायेगे, जो अपने कार्यालय के आहरण-वितरण अधिकारी से इसका आहरण सुनिश्चित करायेंगे ।

(3) आहरण-वितरण अधिकारी जिस प्रकार अन्य देयकों को कोषागार से आहरित करने की प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी प्रकार पेंशनर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को भी कोषागार से पारित कराकर उनके बैंक खाते में, जिससे वह पेंशन आहरित करते हैं, सीधे इलेक्ट्रानिकली जमा कर देंगे ।

(4) इस हेतु प्रत्येक पेंशनर, जिनका प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किया जाना है, स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित अपने प्रार्थना-पत्र में अपना पी0पी0ओ0 संख्या, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा, उसका आई0 एफ0एस0 कोड एवं जनपद तथा कोषागार का नाम, जहॉ से उनकी पेंशन आहरित की जा रही है, उपलब्ध करायेंगे । स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृति आदेश में इसका पूर्ण उल्लेख करेंगे।

(5) उपरोक्तानुसार स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का आहरण, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन देयक प्रपत्र -106 में किया जायेगा और इसके साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी का कार्यालय-आदेश एवं समस्त वाउचर मूलरूप में संलग्न कर कोषागार को उपलब्ध करायें जायेंगे ।

(6) स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृत आदेश को केवल उस कोषागार को पृष्ठांकित करेंगे जहॉ से उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर उनकी पेंशन का आहरण किया जाना है ।

(7) चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित ऐसे देयकों का आहरण अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत निम्न लेखाशीर्षक से किया जायेगा -

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ
01- सिविल
800- अन्य व्यय
04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता ।
0401- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता ।
49- चिकित्सा व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता ।

49- चिकित्सा व्यय

(8) आहरण-वितरण अधिकारी को उक्त देयकों हेतु बजट भरने की आवश्यकता नहीं होगी ।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । यह व्यवस्था दिनांक 01 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी ।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव ।

संख्या-12/2015/ए-1-544(1)/दस-2015-10(6)/90, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल, उ0प्र0।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(5) महालेखाकार (आडिट)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का तत्परता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।
(8) निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0, 1018- जवाहर भवन, लखनऊ ।
(9) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, 8वाँ तल, लखनऊ ।
(10) भुगतान एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।